"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013—आषाढ़ 28, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

न्यायिक जांच आयोग, मुख्यालय रायपुर एवं केम्प मुख्यालय जगदलपुर (छ. ग.)

(17 एवं 18 मई 2013 को बीजापुर जिले की गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना)

रायपुर दिनांक 8 जुलाई 2013

अधिसूचना
[अन्तर्गत नियम 5 (2) (ख) कमीशन ऑफ इंक्वारी (केन्द्रीय) नियम, 1972]

सर्वसाधारण को सूचना

क्रमांक 1/एस. एस. सी. कमीशन/2012.—छ. ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7 दिनांक 19-5-2013 द्वारा बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम एडसमेटा में दिनांक 17 एवं 18 मई 2013 की रात्रि को सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना की न्यायिक जांच हेतु न्यायमूर्ति व्ही. के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं पूर्व अध्यक्ष छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर एवं हाल मुकाम भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसके जांच के विषय निम्न है :-

(1) क्या 17-18 मई 2013 की रात्रि में जिला बीजापुर के थाना गंगालूर के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी ?

(2) उक्त घटना कब और किन परिस्थितियों में घटित हुई थी ?

(3) क्या उक्त घटना में सुरक्षा बलों या नक्सलियों अथवा उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ ?

(4) यदि उक्त घटना में सुरक्षा बलों के सदस्य मृत या घायल हुए हैं तो सुरक्षा बलों के ऐसे सदस्य किन परिस्थितियों में मृत या घायल हुए हैं ?

(5) यदि सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति (महिला/पुरुष/बच्चा) मृत या घायल हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति किन परिस्थितियों में घटना स्थल पर या आसपास उपस्थित थे ?

(6) क्या गश्त प्रारंभ करने के पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा पूर्वोपाय किये गये अथवा आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की गई ?

(7) वे कौन सी परिस्थितियॉ थीं, जिनके कारण सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी ? क्या फायरिंग से बचा जा सकता था ?

(8) भविष्य के लिए सुझाव.

सामान्य प्रशासन विभाग, छ. ग. शासन, रायपुर के पत्र क्रमांक 3-4/2013/1-7 दिनांक 19-05-2013 द्वारा आयोग का मुख्यालय रायपुर में छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग परिसर, पण्डरी बस स्टेण्ड के पीछे, छत्तीसगढ़ सिटी सेन्टर मॉल के सामने, रायपुर स्थित भवन की दूसरी मंजिल में तथा केम्प मुख्यालय जगदलपुर में आयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित कक्ष में स्थापित करना घोषित किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिन्हें भी उपरोक्त घटना के संबंध में जानकारी है, वे कार्यालयीन अवधि में आयोग के रायपुर स्थित कार्यालय अथवा जगदलपुर स्थित कार्यालय में जानकारी लिखित में, शपथ-पत्र में अपने पहचान से संबंधित समग्र दस्तावेज जैसे मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय-पत्र, राशन कार्ड, गांव के सरपंच अथवा किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण-पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में, अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा से भिन्न होने की दशा में ऐसी जानकारी का हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद सहित, प्रस्तुत करें.

जो व्यक्ति घटना से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी के साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के इच्छुक हो वे विषय-वस्तु एवं पूर्ण पते सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अपना पंजीयन कार्यालयीन अवधि में आयोग के कार्यालय में करा सकते हैं. जांच आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/विनियम अलग से अधिसूचित की जा रही है.

नोट :- (1) संबंधित व्यक्तियों की सुविधा हेतु अपेक्षित शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न हैं.
(2) आयोग की बैठक की सूचना समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी.

आज दिनांक 08-07-2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी

हस्ता./-

(रांजा विक्रम नायर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

शपथ-पत्र का प्रारूप

(17 एवं 18 मई 2013 को बीजापुर जिले की गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना)

समक्ष पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्थान ....

शपथकर्ता का विवरण –

नाम – ....

पिता/पति का नाम – ....

उम्र – ....

व्यवसाय – ....

निवास स्थान (पूर्ण पता) – ....

– ....

थाना क्षेत्र – ....

तहसील – ....

जिला – ....

राज्य – ....

शपथ-पत्र

मैं ....पिता/पति ....उम्र..................वर्ष व्यवसाय ....निवासी..शपथपूर्वक निम्नांकित कथन करता/करती हूँ :-

1. यह कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता दिनांक ....को घटना के समय .... स्थान पर स्वयं उपस्थित था/थी एवं मेरे समक्ष निम्नानुसार घटना हुई :-

(i) ....
(ii) ....
(iii) ....

या

मुझे इस घटना के संबंध में निम्न जानकारी प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है :-

(i) ....
(ii) ....
(iii) ....

इस जानकारी का स्रोत है ....जिस पर मैं विश्वास करता हूं/करती हूं, सत्य मानता हूं/ मानती हूं.

2. मैं मेरे द्वारा प्रदत्त उक्त जानकारी के संबंध में दस्तावेजों की मूल प्रति/अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं एवं आयोग द्वारा आहूत किये जाने पर अथवा साक्ष्य के समय दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा/करूंगी.

शपथकर्ता/शपथकर्ती

सत्यापन

मैं ....शपथपूर्वक निम्न सत्यापन करता हूं/करती हूं कि कंडिका-1 से .... की जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं कंडिका..................से ....की जानकारी ....स्रोत से प्राप्त ज्ञान, जिसे मैं सत्य मानता हूं/मानती हूं अथवा उस पर यह विश्वास करता हूं/करती हूं, कि वह सत्य हैं.

अत: आज दिनांक ....को स्थान ....में सत्यापित कर अपना हस्ताक्षर किया/की/ अंगुठा निशानी लगाया/लगायी.

स्थान :
दिनांक :

शपथकर्ता/शपथकर्ती

3. **नोट**

1. शपथकर्ता से अपेक्षा है कि वे समस्त जानकारी शपथ पत्र द्वारा ही प्रदान करें.

2. शपथ पत्र में जो जानकारी शपथकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं और जो अन्य स्रोत से प्राप्त ज्ञान में हैं, उन्हें पूर्णत: स्पष्ट लिखते हुये जानकारी दें.

3. अपने पहचान के लिए शपथकर्ता, शपथ पत्र पर अद्यतन स्वयं के फोटो चिपकाकर सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करावें.

4. अपने पहचान स्थापित करने के लिये शपथकर्ता निम्न दस्तावेज :-

   (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र,
   (ii) राशन कार्ड,
   (iii) स्थानीय मतदाता सूची, जिसमें उसका नाम उल्लेखित हो,
   (iv) स्थानीय कृषक होने से संबंधित खाता की स्वअभिप्रमाणित/पब्लिक नोटरी से अभिप्रमाणित छाया प्रति,
   (iv) सरपंच द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र, एवं
   (vi) किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण-पत्र संलग्न करें.

5. शपथ दिलाने वाले अधिकारी अपने सील, शपथ की तिथि, अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पूर्ण पता, शपथ पत्र निष्पादन का स्थान और तिथि सुस्पष्ट लिखें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस विशेष प्राधिकारी के समय, किस शपथकर्ता द्वारा किसकी उपस्थिति में, किस दिन, किस स्थान पर शपथ का प्रमाणीकरण किया गया है.

न्यायिक जांच आयोग, मुख्यालय रायपुर एवं केम्प मुख्यालय जगदलपुर (छ. ग.)

(17 एव 18 मई 2013 को बीजापुर जिले की गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना)

प्रक्रिया/विनियम

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति व्ही. के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, म. प्र. उच्च न्यायालय एवं पूर्व अध्यक्ष, छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर द्वारा अनुमोदित, छ. ग. राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7 दिनांक 19-05-2013 से अधिसूचित (17 एवं 18 मई 2013 को बीजापुर जिले की गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम एडसमेटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना) की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग द्वारा जांच हेतु प्रक्रिया/विनियम निम्नानुसार होंगे :-

1. आयोग का मुख्यालय रायपुर में छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर के भवन का द्वितीय तल, पंढरी बस स्टेण्ड के पीछे, छत्तीसगढ़ सिटी सेन्टर के सामने, रायपुर एवं केम्प मुख्यालय जगदलपुर में आयुक्त कार्यालय परिसर, जगदलपुर में स्थित कक्ष हैं.

2. आयोग का कार्यालय रायपुर में प्रतिदिन राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में प्रात: 10.30 बजे से 1.30 बजे एवं 2.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रहेगा. जगदलपुर में माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार एवं आवश्यकतानुसार खुला रहेगा. आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी आयोग का कार्यालय खुला रहेगा.

3. सामान्यत: आयोग अपनी बैठकें रायपुर मुख्यालय स्थित कार्यालय में करेगा, परन्तु आवश्यकतानुसार केम्प मुख्यालय जगदलपुर अथवा राज्य के अन्य किसी स्थान पर भी समय, तिथि और स्थान की पूर्व अधिसूचना जारी कर आयोग की बैठकें की जा सकेगी.

4. आयोग की कार्यवाही सारभूत रूप से हिन्दी में होगी, पर कार्यवाही का कोई अंश, आयोग के आदेश/निर्देश पर अंग्रेजी में भी किया जा सकेगा.

5. चूंकि जांच का विषय लोक महत्व का है, अत: आयोग की कार्यवाही जन सामान्य के लिये खुली रहेगी, जब तक सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से प्रक्रिया में कार्यवाही के किसी अंश को आयोग द्वारा "कैमरा प्रोसिडिंग" में करना उचित न समझे.

6. आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र अथवा आयोग के निर्देश/मांग पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र, विधि द्वारा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पर तैयार, शपथ पत्र ही आयोग में मान्य होंगे. शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की अपेक्षित प्रतियों सहित समस्त जानकारी, आयोग के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे. प्रस्तुतकर्ता ऐसे शपथपत्रों एवं प्रपत्रों की पावती प्राप्त कर सकेंगे.

7. अपेक्षित जानकारी शपथ पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित की जा सकेंगी, पर पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करने की दशा में प्रेषक का पूर्ण डाक पता लिफाफे में लिखा जाना आवश्यक होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शपथ पत्र एवं प्रपत्र किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित किये गये हैं. अपूर्ण पते वाले पत्र आयोग द्वारा अस्वीकार किये जा सकेंगे.

8. शपथ पत्र, जानकारी इत्यादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दी जाना होगी. अन्य किसी भाषा में शपथ पत्र/जानकारी इत्यादि दिए जाने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद नोटरी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अभिप्रमाणित संलग्न होने की दशा में ही आयोग द्वारा स्वीकार योग्य होंगे.

9. जानकारी के प्रत्येक शीर्ष के लिए पृथक शपथ पत्र ही स्वीकार्य होंगे. यदि एक शपथ पत्र में एक से अधिक जानकारी दी जाती हैं तो आयोग एक से अधिक जानकारी की दशा में किसी एक जानकारी के संबंध में संज्ञान ले सकेगा.

10. प्रत्येक शपथ पत्र प्रथम व्यक्ति के नाम पर ही कंडिकाओं में क्रमवार विभक्त होंगे. प्रत्येक विषय से संबंधित प्रत्येक जानकारी के तथ्यों को अलग-अलग कंडिकाओं में लिखा जावेगा. शपथ पत्र में शपथकर्ता द्वारा अपना पूर्ण वास्तविक और विस्तृत पता एवं व्यवसाय लिखा जाना आवश्यक होगा.

11. शपथ पत्र का कोई अंश प्राप्त जानकारी पर आधारित होने की दशा में, जानकारी का पूर्ण स्रोत शपथ पत्र में ही लिखना आवश्यक होगा. शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि किन-किन कंडिकाओं की जानकारी शपथकर्ता स्वयं की है और किन-किन कंडिकाओं की जानकारी उसे कौन से स्रोतों से कब प्राप्त हुई है, जिनका वह विश्वास करता है या सत्य समझता है.

12. शपथकर्ता अपने शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करेंगे कि क्या वह अपने शपथ पत्र के समर्थन में अपना कथन कराना चाहते हैं एवं क्या उसका शपथ पत्र ऐसे मौखिक परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होगा.

13. शपथ पत्र मूल प्रति एवं दो अतिरिक्त प्रति सहित प्रस्तुत किये जायेंगे, जिससे आवश्यकतानुसार शपथ पत्र की प्रति विपक्ष अथवा किसी पक्ष को प्रदाय की जा सकें.

14. शपथ पत्र के साथ विश्वास किये जाने वाले मूल दस्तावेज अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जावेगी एवं मौखिक कथन के समय शपथकर्ता को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. मूल प्रति प्रस्तुत न होने की दशा में आयोग ऐसे सत्यापित प्रति को साक्ष्य में अस्वीकार कर सकेगी. यदि दस्तावेज की मूल प्रति शपथकर्ता के अधिकार में न हो और किसी अन्य व्यक्ति अथवा कार्यालय के आधिपत्य में हो तो शपथकर्ता अपने शपथ पत्र में उस व्यक्ति का नाम और उसका पता/कार्यालय एवं अधिकारी का नाम/पते का उल्लेख करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति या अधिकारी के नियंत्रण में और किस हैसियत से है.

15. कमीशन ऑफ इंक्वायरी (केन्द्रीय) नियम 1972 के नियम 5 में जारी सूचना के प्रतिउत्तर में दिये गये कथनों की जांच पर आवश्यक पाने पर आयोग ऐसे शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को साक्ष्य (परीक्षण, प्रतिपरीक्षण) हेतु प्रस्तुत होने का निर्देश दे सकेगा एवं उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के प्रकाश में उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा.

16. साक्ष्य के क्रम में सर्वप्रथम नियम 5(2) (ए एवं बी) के अंतर्गत प्राप्त कथनों के संबंध में साक्षियों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जावेगा. ऐसे व्यक्तियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण के पश्चात् केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किये जा सकेंगे.

17. आयोग उन सभी व्यक्तियों का, जिनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और मौखिक कथन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, का कथन कराने/परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं हैं एवं ऐसे व्यक्तियों को भी अपना परीक्षण कराने का अधिकार नहीं होगा.

18. जिन साक्षियों का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जावेगा, उनका मौखिक साक्ष्य अन्य पक्षकारों के प्रतिपरीक्षण के दायित्व के अधीन होगा तथा अन्य पक्षकारों एवं व्यक्तियों को उनके प्रतिपरीक्षण की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकेगी.

19. आयोग स्वविवेकानुसार किसी व्यक्ति का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु आहूत करने से इंकार कर सकेगा या उन्हें आहूत करने के स्थान पर प्रश्नावली के माध्यम से शपथ पत्र पर उनका परीक्षण किए जाने की अनुमति दे सकेगा.

20. आयोग किसी साक्षी को जिसका कथन अनावश्यक, असंगत, विलंब अथवा तंग करने के प्रयोजन से हो, अभिलिखित कराने से इंकार कर सकेगा.

21. पृथक आरोपों/बिन्दुओं पर परीक्षण एवं विचार सुविधाजनक समूहों में पृथक-पृथक किया जावेगा.

22. आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के आवेदन पर पीटीशन, शपथ पत्र अथवा किसी दस्तावेज के अंश को काट या मिटा देगा या आयोग को प्रस्तुत ऐसा कोई दस्तावेज लौटा सकेगा, जो कि आयोग के अनुसार असंगत, असंबद्ध, अनावश्यक, निरर्थक या बेवजह आक्रामक, फुहड़ या लोक निंदनीय हो.

23. पंजीयन विभाग से प्राप्त मूल पंजीकृत दस्तावेज मूल रूप में अथवा सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार उनके निष्पादन के विषय में बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ग्राह्य किये जा सकेंगे. इसी तरह शासकीय विभाग, निकाय, राज्य शासन के अधीन तथा सहकारी संस्था से संबंधित शासकीय पंजी, जिसमें कार्यालयीन टीप, आदेश आदि शामिल हैं, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के, यदि अन्यथा कोई रियासत हेतु वैद्य दावा न हो, ग्राह्य होगा, जब तक कि आयोग किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह प्रमाणित कराना न चाहे.

24. नियम 4 (2) तथा (6) जांच आयोग नियम, 1972 के अंतर्गत आयोग के सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, को समंस, सूचना पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने तथा आयोग द्वारा जारी अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया हैं. आयोग समय-समय पर आवश्यक होने पर, अन्य अधिकारी/कर्मचारी को भी हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत कर सकेंगे.

25. आयोग उक्त प्रक्रिया/विनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर सकेगा या इसके किसी अंश को विलोपित कर सकेगा.

हस्ता./-

(राजा विक्रम नायर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.